

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम डोकशपुरा के खाता सं. 158 खसरा नं. — में आवेदन

पत्र अनुसार ~~बाणेशराम पुत्र शमदेव के स्थान पर गणेशनाशयण पुत्र शमदेव~~ शक्ति किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र

न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प ग्रामीण सेवा शिबिर केम्प डोकशपुरा में दिनांक 20/09/25

— को मजमेआम में सुनाया गया।



20/9/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी